UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Teenpani By-pass Road, Haldwani, Nainital- 263139 (Uttarakhand)
तीनपानी बाई-पास रोड, हल्द्वानी, नैनीताल- 263139 (उत्तराखण्ड)
फोन (Phone) 05946-286061, फैक्स (Fax) 05946 – 264232
ई-मेल (E-mail) info@uou.ac.in

पत्रांक:- यू0ओ0यू0/ आर0एस0डी0/ संशोधन नियमावली/ 2020/01 दिनांक:- 02/06/2020

सेवा में,

समन्वयक , अध्ययन केन्द्र
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी, नैनीताल।

विषय:- अध्ययन केन्द्र स्थापना नियमावली- 2016 हेतु निर्धारित मानक/ मापदण्ड के अनुरूप भुगतान हेतु संशोधित दरों के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय की वित्त समिति व कुलपति जी के अनुमोदन के क्रम में नवीन नियमावली के अन्तर्गत नवीनीकृत सभी अध्ययन केन्द्रों हेतु अधिसूचना दिनांक 28/05/2020 (संलग्न) सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है। सभी अध्ययन केन्द्र उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक सत्र हेतु जारी धनराशि का उपयोग कर सकेगें। प्रत्येक सत्र में निर्गत की गई अग्रिम धनराशि का समायोजन विश्वविद्यालय के आनलाईन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है। इस हेतु SIS लिंक उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते करते हुये , व्यय विवरण की हार्डकापी केन्द्राध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित कर यथा समय विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें ।

निदेशक

निदेशालय, क्षेत्रीय सेवायें

प्रतिलिपि:-

1- आई0सी0टी0 अनुभाग को उक्तानुसार कार्यवाही करने एवं बेबसाईट में अधिसूचना अपलोडकिये जाने हेतु।
2- वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ।
3- कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
4- कुलपति के वैयक्तिक सहायक को कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
5- गार्ड फाईल में रक्षित किये जाने हेतु।

निदेशक

निदेशालय, क्षेत्रीय सेवायें

UTTARAKHAND OPEN UNIVERSITY
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
Teenpani Bypass Road, Haldwani, Nainital- 263139 (Uttarakhand)
तीनपानी बाइपास रोड, हल्द्वानी, नैनीताल-263139(उत्तराखण्ड)
फोन(Phone) 05946-261122फैक्स(Fax) 05946 – 264232
ई-मेल(E-mail) info@uou.ac.in

अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/ मापदण्ड

अधिसूचना दिनांक 20/05/20XX

कुलपति जी के अनुमोदन दिनांक 21/01/2020 के क्रम में अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/ मापदण्ड एवम सामान्य नियम नियमावली-2016 के अन्तर्गत अध्ययन केन्द्रों को किये जाने वाली भुगतान प्रणाली को वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप तर्कसंगत बनाये जाने के उददेश्य से निदेशक, क्षेत्रीय सेवायें की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, समिति द्वारा उल्लिखित नियमावली की भुगतान प्रणाली (अनुलग्नक-1) में सुधार हेतु दिये गये प्रस्ताव दिये गये जिनको विश्वविद्यालय की वित्त समिति व कार्य परिषद द्वारा अवलोकित कर अपने प्राधिकारों का उपयोग करते हुए अध्ययन केन्द्र स्थापना हेतु मानक/ मापदण्ड एवम सामान्य नियम नियमावली-2016 के अनुलग्नक 1 में संशोधनों के साथ अन्य बिन्दुओं पर भी अनुमोदन प्रदान किया गया । नियमावली – 2016 के अन्तर्गत उक्त संशोधनों को यू0जी0सी0 (दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम- 2017 के लागू होने की तिथि दिनांक 23 जून, 2017 से अधिसूचित किये जाने हेतु कुलपति जी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

उपरोक्तानुसार भुगतान निम्नवत किया जायेगा –

7.0 (के अन्तर्गत) भुगतान प्रक्रिया –अध्ययन केन्द्रों को भुगतान निम्नलिखित 03 चरणों में किया जायेगा:-

7.1 प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात अध्ययन केन्द्र पर प्राप्त कुल प्रोग्राम फीस का 25 प्रतिशत भाग अग्रिम राशि के रूप में केन्द्र संचालन हेतु अवमुक्त किया जायेगा ।

7.2 सत्र के अंत तथा परामर्श सत्रों के सम्पन्न होने के पश्चात अध्ययन केन्द्र द्वारा सम्पूर्ण व्यय ब्यौरे के साथ भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किये जायेंगे । बिलों की सम्यक जॉच के उपरान्त अध्ययन केन्द्र को देय राशि का निर्धारण किया जायेगा, तत्पश्चात निर्धारित देय धनराशि में, पूर्व में अवमुक्त की गयी अग्रिम धनराशि का समायोजन किया जायेगा । समायोजन के पश्चात ही अवशेष धनराशि का 80 प्रतिशत अवमुक्त किया जायेगा ।

7.3 सत्रांत परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात केन्द्र को उपर्युक्त देय राशि का अवशेष भुगतान किया जायेगा ।

नोट:- प्रवेश प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात अध्ययन केन्द्र पर प्राप्त कुल प्रोग्राम फीस का 25 प्रतिशत भाग अग्रिम राशि के रूप में जो केन्द्र संचालन हेतु अवमुक्त किया जायेगा उसका उपयोग अध्ययन केन्द्रों द्वारा भुगतान हेतु निर्धारित तालिका (अनुलग्नक-1) व अन्य निर्धारित मदों में किया जायेगा ।

20/05/20XX
कुलसचिव

Table- A

(A) Proposed Rates of Payment for Study Centres

Sr. no	Heads of payment/account	Proposed Rates of UOU (Rs.)
1.	Theory/ Practical for UG/ Certificate/ Diploma Programmes for 1 credit (03 hours) *	300
2.	Theory/ Practical counseling for PG Programmes for 1 credit (03 hours)	500
3.	Conveyance charge to the academic counselors per day	100
4.	Assignment evaluation for UG/ PG Programmes (per Assignment)	15
5.	Laboratory Assistant per year per batch of 20 students	300
6.	Laboratory Attendant per year per batch of 20 students	200
7.	Laboratory Charges (per year)	500
8.	Consumables (Laboratory) / per year / Semester / Student	
	• Chemistry	300
	• Botany	200
	• Zoology	200
	• Physics	100

*1.ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 05 अथवा 05 से अधिक किन्तु 10 से कम हो, उनमें केवल 25 प्रतिशत काउन्सिलिंग की व्यवस्था की जायेगी।

1. यह दर न्यूनतम 10 से अधिकतम 70 उपस्थित विद्यार्थियों के प्रति बैच के लिए अनुमन्य है।
2. बैच सम्बन्धी उपर्युक्त स्पष्टीकरण PG कक्षाओं पर भी लागू होगा।
3. प्रोगशाला बैच के लिए उपस्थित विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 05 होगी।

कुलसचिव

Table- B

Proposed Rates of Honorarium (Rs./ per month) for Study Centers

Amount in Rs.

(B) (i) Rates of Honorarium (Rs./per Month) for Study Centers.

Sl. No.	Name	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		Student Enrollment														
		01-20	21-50	51-100	101-250	251-500	501-1000	1001-2000	2001-3000	3001-4000	4001-5000	5001-6000	6001-7000	7001-8000	8001-10000	10000+
1	Head of the Institution	500		2000				3000					3500			
2	Coordinator	700	700	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500
3	Assistant Coordinator	–	–	700	1000	1500	2000	2500	2500	3000	3500	3500 (each) Max.2	4000 (each) Max.2	4500 (each) Max.2	5000 (each) Max.2	5500 (each) Max.3
4	Assistant/Class III	–	–	700	700	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1500 (each) Max.2	1500 (each) Max.2	2000 (each) Max.2	2000 (each) Max.2	2000 (each) Max.3
5	Attendant/Anusewak	–	–	500	500	500	500	500	500	500	500	700 (each) Max.2	700 (each) Max.2	700 (each) Max.2	700 (each) Max.2	1000 (each) Max.3
6	Paryavaran Mitra	-	-	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500
7	Office & Miscellaneous expenditure (per month)	1000	1500	1500	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000

2/01/2020
कुलसचिव

Table-C

Rate of Payment per student for Intensive/Professional Counselling Workshop-

- जिन पाठ्यक्रमों में Practical/ Project work/ workshop आयोजित किये जायेगें, ऐसे समस्त पाठ्यक्रमों का भुगतान प्राप्त शुल्क का 15% की दर से निम्न दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने पर किया जायेगा-
  1. परामर्श सत्रों के उपस्थिति प्रपत्र
  2. परामर्श सत्रों से सम्बन्धित छायाचित्र (Optional)
  3. प्रयोगात्मक तथा परियोजना कार्य से सम्बन्धित अन्य दस्तावेज
- उपरोक्तपाठ्यक्रमों में Table-A के केवल क्रम संख्या-04 में उल्लिखत सत्रीय कार्य मूल्यांकन का भुगतान देय होगा। Table-A के अन्य दरों का भुगतान देय नहीं होगा।

28/05/2020

कुलसचिव

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित आदर्श अध्ययन केन्द्रों हेतु मानदेय का निर्धारण/ प्रावधान -

Rates of Honorarium (Rs./per Month) for Model Study Centers.													Amount in Rs.				
			Student Enrollment														
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sl. No.	Name	Er no	01-20	21-50	51-100	101-250	251-500	501-1000	1001-2000	2001-3000	3001-4000	4001-5000	5001-6000	6001-7000	7001-8000	8001-10000	10000+
1	Coordinator	Rs.	700	700	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500
2	Assistant Coordinator		–	–	700	1000	1500	2000	2500	2500	3000	3500	3500 (each) Max.2	4000 (each) Max.2	4500 (each) Max.2	5000 (each) Max.2	5500 (each) Max.3

उपरोक्त मानदेय सत्र 2020 से लागू होगा और जिसका भुगतान आदर्श अध्ययन केन्द्र की आय से किया जायेगा। इस हेतु आदर्श अध्ययन केन्द्रों के आय-व्यय का पृथक से ब्यौरा लेखा अनुभाग द्वारा रखा जायेगा।

कुलसचिव

अध्ययन केन्द्रों को प्रमोशनल एक्टीविटी 'शीर्ष' के अन्तर्गत धनराशि आवंटन

विश्वविद्यालय की गतिविधियों के प्रचार प्रसार तथा प्रवेश पूर्व काउन्सिलिंग अदि हेतु छात्र सुविधाओं के दृष्टिगत प्रमोशनल एक्टीविटी शीर्ष/मद में उक्त कार्यो को संपादित किये जाने हेतु अध्ययन केन्द्रों को वार्षिक मानदेय की निम्नानुसार यू0जी0सी0 मानकों के अनुसार व्यवस्था की जा रही है-

क्र0 स0	विवरण	धनराशि
01	200 तक पंजीकृत छात्र संख्या वाले अध्ययन केन्द्रों को	रूपये 10000/- वार्षिक
02	200 से अधिक पंजीकृत छात्र संख्या वाले अध्ययन केन्द्रों को	रूपये 15000/- वार्षिक

उपरोक्त मानदेय इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जायेगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों एवं मानकों के परिपूर्ण होने दशा में ही धनराशि आवंटित की जायेगी एवं मानदेय का भुतान सम्बन्धित विभागाध्यक्ष के इस आशय के प्रमाण पत्र के उपरान्त ही किया जायेगा कि भुगतान यू0जी0सी0 मानक के अनुसार है।

20/05/2020

कुलसचिव

अध्ययन केन्द्रों को ऑफलाइन प्रवेश/परीक्षा आवेदन पत्रों व आवेदन पत्रों के पुष्टिकरण एवं सत्रीय कार्यो के अकंन के कार्य हेतु मानदेय का निर्धारण

विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि, अध्ययन केन्द्रों द्वारा ऑफलाइन प्रवेश आवेदन पत्रों/ परीक्षा आवेदन पत्रों का SIS में प्रविष्टि की जाती है, इस हेतु धनराशि रूपया 10/- प्रति छात्र अध्ययन केन्द्र को देय होगा साथ ही छात्रों के सत्रीय कार्य का SIS में अकंन/ प्रविष्टि किये जाने हेतु रूपया 1/- प्रति सत्रीय कार्य देय होगा।

इस प्रकार पूर्व में किये गये अग्रिम भुगतान 25 प्रतिशत का समायोजन सभी अध्ययन केन्द्रों को SIS में दिये गये लिंक के माध्यम से किया जाना होगा। यदि अध्ययन केन्द्र की देयता पूर्व में किये गये अग्रिम भुगतान 25 प्रतिशत से अधिक बनती है तो उसका 80 प्रतिशत भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा उस संबंधित अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार सत्रांत परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात केन्द्र को उपर्युक्त देय राशि का अवशेष(20 प्रतिशत) भुगतान किया जायेगा।

20/05/2020

कुलसचिव

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,नई दिल्ली(दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम-2017 के मानको को पूर्ण न करने वाले अध्ययन केन्द्रों हेतु मानदेय का निर्धारण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,नई दिल्ली(दूरस्थ एवम मुक्त शिक्षा) विनियम-2017 के मानको को पूर्ण न करने वाले अध्ययन केन्द्रों को सत्र 2018-19 ग्रीष्मकालीन में विश्वविद्यालय द्वारा बंद कर दिया गया और इन अध्ययन केन्द्रों में अध्ययनरत छात्रों को निकट के अध्ययन केन्द्रों में स्थानान्तरित कर दिया गया। ऐसे अध्ययन केन्द्रों हेतु विश्वविद्याय द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन अध्ययन केन्द्रों में तत्समय अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुरूप कुल प्रोग्राम फीस का 5 प्रतिशत एक बार समाधान के रूप में दिया जाये। यह नियम पुरानी नियमावली से गठित अध्ययन केन्द्र एवम नई नियमावली-2016 से गठित अध्ययन केन्द्र दोनों पर समान रूप से लागू होगी। इसे भविष्य के लिये नजीर नही माना जायेगा।

20/05/2021

कुलसचिव